>

Title: Need to enact a legislation providing for safety gadgets for the workers engaged in cleaning of Sewer and manholes in the country.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश में आज भी सीवरों की सफाई का काम अधिकतर मनुष्यों द्वारा कराया जा रहा है । एक दैनिक समाचार पत्र के सर्वेक्षण के अनुसार देश में सीवरों की सफाई में प्रतिवर्ष लगभग् 22,800 सफाई कर्मियों की मृत्यु हो जाती है । सफाई कर्मियों की औसत आयु भी राष्ट्रीय औसत आयु से कम आंकी गयी है। सीवरों की सफाई करने वाले जो लोग जीवित रहते हैं उन्हें किसी न किसी भयंकर बीमारी से जूझना पड़ता हे । अमेरिका व यूरोप में मैन होल में काम करने वालों को ऐसे सूट दिए जाते हैं जिससे उनका शरीर दूषित जल के सीधे संपर्क में न आए । उनहें श्वास लेने के लिए कृत्रिम श्वास यंत्र दिए जाते हैं । हांगकांग में सीवरों की सफाई करने वालों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है और वहां कम से कम 15 प्रकार के लाइसेंसधारकों को ही ऐसे काम में लगाया जाता हे । मेरा निवेदन है कि सरकार सीवरों के निर्माण एवं सफाई हेतु देशभर में व्यापक सर्वेक्षण करे और कामगारों के हित में कोई सख्त कानून बनाए ताकि उनकी बेरहमी से हो रही मौतों पर रोक लग सके ।